बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक:- 140573 (आ०) ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 01-03-13

ग्रा०वि० - 10/बजट- 33/2012

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **गैर योजना बजट शीर्ष- 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास- 0001 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड- एन. 2515001020001 एवं मांग संख्या- 42) के अंतर्गत प्रखंड स्थापना की विभिन्न इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु अतिरिक्त निधि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2012 (बिहार अधिनियम 5, 2012) पारित होने एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 31.03.12 को इस विधेयक पर सहमति प्रदान कर देने के फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्रांक 422 दिनांक 31.03.12 द्वारा दिनांक 31.03.13 तक की अवधि के लिए बजट प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है ।

अत: वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र के आलोक में तथा वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.98 एवं 2450 वि.(2) दिनांक 17.04.99 के निर्देशानुसार विषयांकित बजट शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड- एन.2515001020001 एवं मांग संख्या- 42) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपबंधित राशि में से कुल 17,94,46,260/- (सत्तरह करोड़ चौरानवे लाख छियालीस हजार दो सौ साठ) रूपये मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी - 1 के अनुसार स्थापना मद की विभिन्न विषय शीर्षों (इकाईयों) में जिलावार स्वीकृत किया जाता है ।

2) आवंटित राशि का व्यय गैर योजना बजट शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड- एन.2515001020001 एवं मांग संख्या- 42) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए संबंधित विषय शीर्षों (इकाईयों) में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3) आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन के क्रम में बिहार वित्तीय नियमावली / बिहार कोषागार संहिता / बजट मैनुअल / सचिवालय अनुदेश एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 4201 दिनांक 12.04.12 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अक्षरश: एवं दृढतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

4) आवंटित राशि का उपावंटन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 12579 दिनांक 09.12.06 के अनुसूची-1 में वर्णित तथ्यों के आलोक में अपने जिला के नियंत्रणाधीन प्रखंडों के उक्त शीर्ष के अंतर्गत सृजित पदों के विरूद्ध वास्तविक रूप में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि का भुगतान प्रखंड स्थापना की उन्हीं विषय शीर्षों (इकाईयों) में किये जाये, जिनके तहत राशि आवंटित की गई है । साथ ही साथ प्रखंड कार्यालयों में कार्यरत बल की समीक्षा कर ही वेतनादि मद में राशि का उपावंटन किया जाय । प्राय: देखा जाता है कि कही कार्यरत बल के अनुसार अधिक और कहीं कम राशि उपावंटित की जाती है ।

5) माननीय न्यायालय से संबंधित आदेश के कार्यान्वयन में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर आवंटित राशि का व्यय किया जाय तदोपरान्त नियमित वेतन का भुगतान पर व्यय किया जाय और राशि बचती हो या बचने की संभावना हो तो बकाया वेतनादि का भुगतान अवश्य किया जाय ।

6) कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, वाहन का ईधन एवं रख-रखाव, दूरभाष, **विद्युत विपत्र**, वर्दी एवं किराया महसूल एवं कर से संबंधित अभिश्रवों के संबंध में पूर्व आवंटनादेश में निदेश दिया जा चुका है कि पुराने

1.3.13

असमायोजित भाउचर, जो कतिपय प्रखंडों में लंबे समय से लंबित पड़े है जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के सेवा यात्रा के दौरान ध्यान आकृष्ट कराया गया है, उसमें सबसे पुराने अभिश्रव को सबसे पहले समायोजित किया जाय और उसी तरह उसके बाद की तिथि के अभिश्रव को समायोजित किया जाय । इसी क्रम में अभिश्रवों को समायोजित करने की कार्रवाई की जाय और व्यय की स्थिति इकाईवार प्रत्येक माह के 10 तारीख तक allotmentrdd@gmail.com पर प्रतिवेदित किया जाय । किन्तु CTMIS Application के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वेतनादि के अलावा अन्य मद में व्यय नहीं किये जा रहे है जबकि कई जिलों में कार्यालय व्यय, दूरभाष एवं वाहन के ईंधन एवं रख-रखाव, विद्युत प्रभार मदों में लंबित अभिश्रव रहने की सूचना है । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में इन मदों में व्यय किये जाते है, जिससे कई प्रकार की बाधाएं एवं अनियमितताएं होती है । अतएव कृपया उपरोक्त निदेश का दृढ़ता से पालन किया जाय ।

7) प्रखंड स्थापना को छोड़ अन्य किसी भी स्थापना अर्थात जिला / नजारत / अनुमंडल स्थापना के लिए इस शीर्ष में आवंटित राशि का उपावंटन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय । आवंटित राशि से अधिक या गलत निकासी की सारी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

8) आवंटित राशि से किसी अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य भत्ते या मजदूरी का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय ।

9) इस शीर्ष का जिला स्तर पर समेकित व्यय विवरणी, टी.भी.नंबर एवं तिथि सहित प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त विभागीय (बजट शाखा) एवं ग्रामीण विकास विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।

10) कृपया अपने स्तर से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाय कि कोषागार में उपस्थापित किये जाने वाले विपत्रों पर विपत्र कोड- एन.-2515001020001 एवं मांग संख्या- 42/ मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / विषय शीर्ष (प्राथमिक) इकाई एवं कूट संख्या की मुहर अवश्य लगायी जाय ।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन
1.3.13
(अजय कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः- 140573(आ0)ग्रा०वि०, पटना, दिनांकः- 01-03-13

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1.3.13
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः- 140573(आ0)ग्रा०वि०, पटना, दिनांकः- 01-03-13

प्रतिलिपि - सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1.3.13
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः- 140573(आ0)ग्रा०वि०, पटना, दिनांकः- 01-03-13

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा) / प्रशाखा पदाधिकारी-10, कार्यवाह सहायक (अतिरिक्त 10 प्रतियों में), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1.3.13
सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी - 1

गैर योजना बजट शीर्ष -2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम -102- सामुदायिक विकास - 0001 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड- एन.- 2515001020001 एवं मांग संख्या: 42)

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड की संख्या	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 02 वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	13 03 दूरभाष	13 04 विद्युत	13 06 वर्दी	14 01 किराया महसूल एवं कर	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	पटना	23	3000000	2500000	400000	181700	25000	-	215356	1076779	1076779	215356	-	43071	43071	-	8777112	उप विकास आयुक्त, जहानाबाद का पत्रांक 57 दिनांक 28.01.13 के आलोक में CWJC N0.-11311/2005 जय प्रकाश नारायण सिन्हा बनाम सरकार एवं अन्य में पारित आदेश , निर्वाह भत्ता हेतु राशि जहानाबाद के लिए कर्णांकित है । पटना जिला को आवंटित राशि में ब्रजभूषण सिंह, प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) विक्रम (पटना) के बकाये वेतनादि राशि भी सम्मिलित है । मुजफ्फरपुर जिला को आवंटित राशि में श्री सुकदेव प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त लिपिक मुशहरी प्रखंड के बकाये वेतनादि की राशि भी सम्मिलित है ।
2	गया	24	7780000	7548000	1608800	189600	55920	-	224719	1123596	1123596	224719	-	44944	44944	-	19968838	
3	अरवल	5	1350000	1260000	293500	39500	11650	-	46816	234082	234082	46816	-	9363	9363	-	3535172	
4	नवादा	14	2580000	2328000	1021800	110600	32620	-	131086	655431	655431	131086	-	26217	26217	-	7698488	
5	औरंगाबाद	11	4470000	4272000	645700	86900	25630	-	102996	514981	514981	102996	-	20599	20599	-	10777382	
6	सारण	20	5200000	5040000	874000	158000	46600	-	187266	936330	936330	187266	-	37453	37453	-	13640698	
7	गोपालगंज	14	3780000	3528000	821800	110600	32620	-	131086	655431	655431	131086	-	26217	26217	-	9898488	
8	मुजफ्फरपुर	16	3620000	3532000	1139200	126400	37280	525000	149813	749064	749064	149813	-	29963	29963	-	10837560	
9	वैशाली	16	5320000	5032000	939200	126400	37280	151810	149813	749064	749064	149813	-	29963	29963	-	13464370	
10	मधुबनी	21	6670000	5192000	1332700	165900	48930	-	196629	983146	983146	196629	-	39326	39326	-	15847732	
11	भागलपुर	16	3920000	3632000	939200	126400	37280	-	149813	749064	749064	149813	-	29963	29963	-	10512560	
12	बेगुसराय	18	2860000	3536000	1056600	142200	41940	-	168539	842697	842697	168539	-	33708	33708	-	9726628	
13	जहानाबाद	7	150000	100000	0	0	0	-	65543	327715	327715	65543	-	13109	13109	-	1062734	
14	सिवान	19	3000000	2000000	500000	0	0	-	177903	889513	889513	177903	-	35581	35581	-	7705994	
15	जमुई	10	-	-	-	-	-	-	93633	468165	468165	93633	-	18727	18727	-	1161050	
16	भोजपुर	14	-	-	-	-	-	-	131086	655431	655431	131086	-	26217	26217	-	1625468	
17	पू० चम्पारण	27	-	-	-	-	-	-	252809	1264045	1264045	252809	-	50562	50562	-	3134832	
18	नालन्दा	20	-	-	-	-	-	-	187266	936330	936330	187266	-	37453	37453	-	2322098	
19	बक्सर	11	-	-	-	-	-	-	102996	514981	514981	102996	-	20599	20599	-	1277152	
20	रोहतास	19	-	-	-	-	-	-	177903	889513	889513	177903	-	35581	35581	-	2205994	
21	भभुआ	11	-	-	-	-	-	-	102996	514981	514981	102996	-	20599	20599	-	1277152	

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड की संख्या	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 02 वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	13 03 दूरभाष	13 04 विद्युत	13 06 वर्दी	14 01 किराया महसूल एवं कर	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	सीतामढी	17	-	-	-	-	-	-	159176	795880	795880	159176	-	31835	31835	-	1973782	
23	प०चम्पारण	18	-	-	-	-	-	-	168539	842697	842697	168539	-	33708	33708	-	2089888	
24	शिवहर	5	-	-	-	-	-	-	46816	234082	234082	46816	-	9363	9363	-	580522	
25	दरभंगा	18	-	-	-	-	-	-	168539	842697	842697	168539	-	33708	33708	-	2089888	
26	समस्तीपुर	20	-	-	-	-	-	-	187266	936330	936330	187266	-	37453	37453	-	2322098	
27	सहरसा	10	-	-	-	-	-	-	93633	468165	468165	93633	-	18727	18727	-	1161050	
28	सुपौल	11	-	-	-	-	-	-	102996	514981	514981	102996	-	20599	20599	-	1277152	
29	मधेपुरा	13	-	-	-	-	-	-	121723	608614	608614	121723	-	24345	24345	-	1509364	
30	पूर्णिया	14	-	-	-	-	-	-	131086	655431	655431	131086	-	26217	26217	-	1625468	
31	अररिया	9	-	-	-	-	-	-	84270	421348	421348	84270	-	16854	16854	-	1044944	
32	किशनगंज	7	-	-	-	-	-	-	65543	327715	327715	65543	-	13109	13109	-	812734	
33	कटिहार	16	-	-	-	-	-	-	149813	749064	749064	149813	-	29963	29963	-	1857680	
34	बांका	11	-	-	-	-	-	-	102996	514981	514981	102996	-	20599	20599	-	1277152	
35	मुंगेर	9	-	-	-	-	-	-	84270	421348	421348	84270	-	16854	16854	-	1044944	
36	खगड़िया	7	-	-	-	-	-	-	65543	327715	327715	65543	-	13109	13109	-	812734	
37	लखीसराय	7	-	-	-	-	-	-	65543	327715	327715	65543	-	13109	13109	-	812734	
38	शेखपुरा	6	-	-	-	-	-	-	56181	280898	280898	56181	-	11233	11233	-	696624	
	कुल योग	534	53700000	49500000	11572500	1564200	432750	676810	5000000	25000000	25000000	5000000	0	1000000	1000000	0	179446260	

(सतरह करोड़ चौरानवें लाख छियालीस हजार दो सौ साठ) रूपये मात्र

1.3.13

संयुक्त सचिव
ग्रामीण विकास विभाग